

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्यमुख्यालय

शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल



Website: www.bsgmp.net mail: scoutguide_bpl@dataone.com phone 2661263, fax: 2737446

क्रमांक/१३२०/रा.मु/न्यायालय / 2014

भोपाल दिनांक १७-९-१५

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1906 का अधिनियम संख्या क्रमांक-5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए श्रीमहेश भटनागर न्यायालय प्रकरण क्रमांक/4902/06(एस) भारत स्काउट एवं गाइड भोपाल मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में श्री देवी सिंह ठाकुर जिला सचिव जिला संघ इन्डौर को अभिवचनों पर-हस्ताक्षर करने और इन्हें सत्यापित करने के लिये तथा न्यायालय में आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं निम्नलिखित कार्य करेगा—

- 01— प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिन से कि मामले के संचालन में अधिवक्ता/अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।
- 02— समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 03— वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 04— उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 05— अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।
- 06— प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा—
 - क— वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - ख— प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग— उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - घ— मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
- 07— मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकरण और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 08— जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 09— अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
- 10— यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 11— जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अद्व शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

- 12- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या जानकारी अप्रकट/छुपी हुई न रह जाए।
- 13- प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय भोपाल को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्ति प्राप्त की जायें और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 14- प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में परिति किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करे।

राज्य सचिव 17/9


भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल दिनांक 17-9-14

11371

- पृ.क्रमांक / रा.मु/2014
प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
01— राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र राज्य मुख्यालय भोपाल
02— श्री देवी सिंह ठाकुर जिला सचिव जिला इन्दौर को अग्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि पूर्व प्रकरण अधिकारी श्रीमति सी.के उपाध्याय से प्रकरण की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर समस्त अभिलेख प्राप्त करे एवं संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क कर अगली कार्यवाही सम्पादित करे वस्तुस्थिति से राज्य मुख्यालय को अवगत करावे । ओ.आई सी की ओर अग्रेषित साथ ही अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित, यदि किसी अभिलेख की आवश्यकता हो तो वह व्यक्तिशः प्राप्त करे । मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए वाद-पत्र की एक प्रति इस विभाग के आवश्यक रूप से भेजी जाए, तत्काल प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करे, की गई कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावे ।
03— श्रीमति चन्द्राकान्ता उपाध्याय सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) संभागीय कार्यालय को पत्र भेजकर अनुरोध है कि आपको श्री महेश भट्टनागर न्यायालय प्रकरण क्रमांक /4902/06(एस) में ओ.आई.सी नियुक्त किया गया था, आपको ओ.आई.सी के दायित्व से मुक्त किया जाता है ।

राज्य सचिव 17/9

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र
J



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल



Website: www.bsgmp.net mail: scoutguide_bpl@dataone.com phone: 2661263, fax: 2737446

क्रमांक / १३७९ रा.मु/न्यायालय / 2014
प्रति

भोपाल दिनांक

✓ श्री देवी सिंह ठाकुर
जिला सचिव
जिला संघ इन्डौर

विषय— श्री महेश भट्टनागर न्यायालय प्रकरण क्र/4902/06एस के संबंध में ।
सदर्भ— ए.एस.ओ.सी इन्डौर का पत्रक्र/321/दिनांक/25/8/14 के अनुक्रम में।

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि अधिवक्ता श्री मधुसूदन द्विवेदी श्री महेश भट्टनागर न्यायालय प्रकरण क्रमांक/4902/06एस/2006 के छानबीन गठित समिति के निर्णय की प्रति चाही गई थी, समिति के निर्णय की सत्यप्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि दस्तावेज मूल प्रति अधिवक्ता सौपकर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे ।

संभरन—०५,

राज्य सचिव १२/९

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

२